राज कुमार मौर्य
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
श्री गदाधर आचार्य जनता कालेज,
रामबाग, बिहटा, पटना

B.A. II Year (H) Paper- III (Political Sci:)

विषय- संविधान संशोधन (Amendment to the Constitution)

भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत किया गया है।

अनुच्छेद 368 (1) के अनुसार संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।

अनुच्छेद 368 (2) के अनुसार संसद के किसी भी सदन में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया

Scanned with CamScanner

अर्थात लोक सभा एवं राज्य सभा

जा सकता है। यह संसद के प्रत्येक सदनों के सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपास्थित और मत देने वालों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए/ संविधान के कुछ विशेष भागों में दो तिहाई बहुमत के अलावा आधे राज्य विधान सभाओं का समर्थन भी संशोधन के लिए होना चाहिए/

इस तरह हम देखते है कि अनुच्छेद-368(2) में संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाओं का उल्लेख है.

<u>प्रथम प्रकार की प्रक्रिया</u> के अन्तर्गत संविधान संशोधन के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपास्थित एवं मत देने वालों का दो-तिहाई बहुमत होना आवश्यक है संविधान में अधिकांश भाग इसी प्रक्रिया के तहत संशोधित होता है। जैसे → मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में संशोधन इसी प्रक्रिया के तहत

Scanned with CamScanner

होता है।

द्वितीय प्रकार की प्रक्रिया के अन्तर्गत होने वाले संशोधन सबसे कठोर है, इसमें राज्य सभा और लोक सभा के विशेष बहुमत के अलावा भारतीय संघ के आधे राज्यों की विधान सभाओं का समर्थन भी आवश्यक है। इस प्रक्रिया के तहत निम्न विषयों को संशोधित किया जाता है —

1> अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत आने वाली संसद की संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया।

2> राष्ट्रपति का चुनाव और प्रक्रिया।

3> केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।

4> सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियाँ।

5> केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा।

6→ संविधान की सातवीं सूची में उल्लिखित सूची के विषय में संशोधन/

7→ भारतीय संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के विषय में/

भारतीय संविधान के अनुसार ~~संविधान~~ संवैधानिक संशोधन राज्य विधान सभाओं द्वारा नहीं लाया जा सकता है/ संशोधन विधेयक लोक सभा या राज्य सभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है/ संशोधन विधेयक संसद सदस्य या मन्त्री के द्वारा पेश किया जा सकता है/ संविधान संशोधन पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है और न ही राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है/ और न ही राष्ट्रपति संविधान संशोधन ~~पर~~ को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं

Scanned with CamScanner

संविधान के अनेक भागों में परिवर्तन सामान्य बहुमत से किया जा सकता है इनका उल्लेख 368 में नहीं किया गया है। ये संविधान के संक्रमणकालीन भाग भी माने जाते है —

1⇒ भारत में किसी नये राज्य की स्थापना या किसी नये राज्य का भारतीय संघ में सम्मिलित होना।

2⇒ किसी राज्य के नाम, सीमा या भू-भाग में बदलाव करना।

3⇒ किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना या हटाना।

4⇒ संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, न्यायाधीशों की उपलब्धि, विशेषाधिकार या भत्ते में संशोधन करना।

5⇒ पाँचवी तथा छठवीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों में संशोधन करना।

Scanned with CamScanner

6 ⇒ केन्द्रशासित क्षेत्र।

7 ⇒ विधायिकाओं के परिसीमन में संशोधन करना।

8 ⇒ संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव।

9 ⇒ भारत की नागरिकता का ग्रहण एवं त्याग करना।

10 ⇒ भारत की आधिकारिक भाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में।

11 ⇒ सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में विस्तार एवं सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या के सम्बन्ध में।

12 ⇒ संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में।

13 ⇒ संसदीय विशेषाधिकार के सम्बन्ध में।

14 ⇒ संसदीय प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

15 ⇒ सांसदो के वेतन, भत्ते और कोरम के सम्बन्ध में।

Scanned with CamScanner